

Speed Post  
:: कार्यालय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ::

(मोती बंगला परिसर, एम0जी0 रोड, इन्दौर)

Phone NO. (0731) 2535222

Ext. NO.- 29 (Court)

Fax NO.- (0731) 2539552

क्रमांक 380/5/कोर्ट/2012  
प्रति

इन्दौर, दिनांक 3 जुलाई, 2012  
क्रास्

साधिव,

राजस्व मण्डल,  
म0प्र0ग्वालियर,

विविध- 2774- PBR/12

विषय :- म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-51(1) अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति बाबद् ।

-000-

कलेक्टर, जिला झाबुआ द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 07/अपील /96-97 (अनोखीलाल पिता समरथमल मोदी निवासी-थांदला विरुद्ध म0प्र0शासन) में म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-51 (एक) अन्तर्गत मण्डल से पुनर्विलोकन अनुमति हेतु प्रकरण इस कार्यालय के माध्यम से आपकी ओर अग्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है ।

अतः कलेक्टर, जिला झाबुआ से प्राप्त उपर्युक्त मूल प्रकरण इस पत्र के संलग्न पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु सादर प्रेषित है ।  
(आयुक्त द्वारा आदेशित)

संलग्न :- प्रकरण क्रमांक 07/अपील/96-97

उपायुक्त (राजस्व)  
वास्ते-आयुक्त,

इन्दौर संभाग, इन्दौर

पृ0क्रमांक / /5/कोर्ट/2012  
प्रतिलिपि :-

इन्दौर, दिनांक

जुलाई, 2012

कलेक्टर, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

sd/-

उपायुक्त (राजस्व)

वास्ते-आयुक्त

इन्दौर संभाग, इन्दौर

विधि 2774-PR302/12

आवेदक नं 100 | अर्जा

7-1-2016

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर, झाबुआ द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अपील/96-97 में पारित आदेश दिनांक 2-3-2000 के पुनर्विलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का सुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाये ।

अ/अ  
2/12

अध्यक्ष